न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 368/18 **निर्णय दिनांकः 14.12.2018**

1. श्रीराम पुत्र मंगलाराम जाति स्वामी निवासी श्रीरामसर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मु.आम फारूक पुत्र समीखॉ जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास, घड़सीसर, बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—05—1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. सुश्री रोशन आरा , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18—05—1993 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक 31—03—1984 को भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 5 एस.एम.डी. के मुरब्बा नम्बर 82/26 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 82/18 में 24.10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 49 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया। उक्त भूमि चक परिवर्तन होने पर चक 2 एस.एम.डी. के रूप में पैमूद हुआ। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किश्तें जमा कराने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया व एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। जबकि इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि आज दिंनांक को भी आराजीराज भूमि है व अपीलांट आज दिनांक को भी बकाया किश्तें जमा कराने हेतु तैयार है। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को आवंटित भूमि की बकाया राशि जमा करवाते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—05—1993 को पारित किया गया था। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 16—10—2018 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि किश्तों के अभाव में खारिज की जा चुकी है। है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—05—1993 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16—10—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ के चक समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त दिनांक 31—03—1984 को भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 5 एस.एम.डी. के मुरब्बा नम्बर 82/26 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 82/18 में 24.10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 49 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन को किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट

के आवंटन को खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना अपीलांट को नहीं की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है।

(3) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सवंत् 2073—2076 के अवलोकन से साबित है कि वादगत् भूमि आज दिनांक को आराजीराज भूमि है। चूंकि अपीलांट् वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि आज दिनांक को भी जमा करवाने हेतु तैयार है व वादगत् भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं होकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के आवंटन को बहाल किया जाना युक्तियुक्त पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—05—1993 निरस्त किया जाकर अपीलांट का वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 31—03—1984 यथावत बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट से वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा करवाते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर